न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०-II, सिद्धार्थनगर।

गैंगस्टर वाद संख्या-----------16/2019

सरकार-----बनाम----शिवशंकर विश्वकर्मा

दिनांक-12.07.2022

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। अभियुक्त नन्दकुमार व सतई का हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ है। स्वीकृत किया जाता है। अभियुक्त लल्लू अनुपस्थित है। उसके विरुद्ध गैरजमानतीय अधिपत्र जारी किया जा चुका है। अभियुक्त शिवशंकर विश्वकर्मा जेल से उपस्थित आया। अभियुक्त शिवशंकर विश्वकर्मा द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर संस्वीकृति प्रार्थना पत्र द्वारा विद्वान अधिवक्ता इस आशय का दिया कि वह 44 महीने से इस मुकदमे में जेल में निरुद्ध है और वह स्वेच्छया से जुर्म इकबाल कर रहा है। अतः अन्य अभियुक्तों से उसकी पत्रावली अलग करके उसके मामले का निस्तारण जुर्म इकबाल के आधार पर कर दिया जाये। साथ ही याचना की है कि न्यायालय उचित समझे तो इसी पत्रावली में उसके मामले का निस्तारण जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर कर दिया जाये। बड़ी कृपा होगी।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को व विद्वान विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली पर अभियुक्त शिवशंकर विश्वकर्मा की कोई ऐसी आख्या जेल से नहीं आयी है जिसमें कि यह दर्शित होता हो कि वह जेल में कोई खराब व्यवहार या गलत आचरण करता हो। अभियुक्त करीब 44 महीनों से जेल में निरुद्ध है तथा सहअभियुक्त लल्लू पत्रावली में लगातार अनुपस्थित चल रहा है और उसके विरुद्ध एन०बी०डब्ल्यू० जारी है। अतः वाद के तथ्य एवं परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त शिवशंकर विश्वकर्मा का मामला संस्वीकृति के आधार पर निपटाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अभियुक्त शिवशंकर विश्वकर्मा को उसकी संस्वीकृति के आधार पर धारा-3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाता है तथा अभियुक्त शिवशंकर विश्वकर्मा को इस प्रकरण में 3 वर्ष 8 माह 10 दिन के कारावास एवं 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी जाती है। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियुक्त का कन्वीक्शन वारन्ट बनाकर अधीक्षक जिला कारागार सिद्धार्थनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अविलम्ब भेजा जाये।

यह पत्रावली अब अभियुक्त लल्लू, नन्दकुमार व सतई विश्वकर्मा के विरुद्ध जारी रहेगी। पत्रावली वास्ते हाजिरी अभियुक्त लल्लू उर्फ संतोष दिनांक–26.07.2022 को पेश हो। अभियुक्त लल्लू उर्फ संतोष के विरुद्ध एन०बी०डब्ल्यू० जारी हो तथा धारा–82 व 83 दं०प्र०सं० की कार्यवाही की जाये और उसके जमानतियों को नोटिस भेजा जाये।

दिनांक–12.07.2022

(ब्रिजेश कुमार–द्वितीय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
एफ०टी०सी०–II, सिद्धार्थनगर।
J.O. CODE - UP 1607